

राजस्थान --सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक / नर्सिंग / नर्स-2 / स्थायीकरण / डूंगरपुर / जे-549 / 2013 /

दिनांक:-

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक नर्सिंग / नर्स-2 (सीधी भर्ती--2013) / 2016 / 60 दिनांक 10.02.2016 के द्वारा निम्न का नर्स-2 के पद पर चयन कर दो वर्ष के परिबीक्षाकाल पर नियुवितर्यो प्रदान की गई थी। इन आयुर्थियों द्वारा दो वर्ष का परिबीक्षाकाल संतोपजनक पूर्ण करने पर राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनरक्ष सेवा नियम 1985 के नियम 31 के महत्त इनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 05 में उल्लेखित दिनांक से स्थाई करके हुये इन्हें परिबीक्षाकाल पूर्ण करने पर इनके नामों के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 07 में दर्शाये गये तिथी से राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2017 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.15 (1) एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.17 एवं 09.12.17 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में नर्स-2 के पद की पै गैट्रिक्स लेवल एल-11 में न्यूनतम वेतन 37800/- एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

क्रमांक	नाम कर्मचारी	जन्मतिथि	पदस्थापन स्थान	कार्यारम्भ तिथि	परिबीक्षाकाल पूर्ण करने की दिनांक	02 वर्ष पश्चात् परिबीक्षापूर्ण करने पर वेतन नियतन तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1	राकेश खाट	06.01.90	डूंगरपुर	12.02.16	11.02.18	12.02.18
2	विरन्द्र यादव	29.10.84	डूंगरपुर	12.02.16	11.02.18	12.02.18
3	राजेंद्र कुमार शोत	04.07.82	डूंगरपुर	12.02.16	11.02.18	12.02.18
4	प्रेमलता बरण्डा	03.07.86	डूंगरपुर	11.02.16	10.02.18	11.02.18

—sd—

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये  
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक / नर्सिंग / नर्स-2 / स्थायीकरण / डूंगरपुर / जे-549 / 2013 / 1410

दिनांक:- 22-10-18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डूंगरपुर।
2. संबंधित कार्मिक द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
3. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु।
4. आदेश पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये  
राजस्थान जयपुर।